



दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460

GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

पत्रांक : 5023 /द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/जीएसटी

दिनांक 11/08/2017

विषय : जीएसटी से सम्बन्धित दिशा-निर्देश।

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

इस कार्यालय के पत्र संख्या 4813/द०वि०वि०नि०लि०/आ० दिनांक 01.07.2017 द्वारा अवगत कराया गया था कि केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम-2017 की धारा-22 एवं 25 के तहत दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० के पैन सं० AACCD0695D के अन्तर्गत एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। इस क्रम में निगम मुख्यालय स्तर पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० को GSTIN (जीएसटी नं०) 09AACCD0695D1ZS निर्गत हुआ है जिसका प्रयोग दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० के अधीनस्थ सभी इकाइयों/खण्डों द्वारा क्रय-विक्रय आदि संव्यवहारों में किया जायेगा। इस सम्बन्ध में दिनांक 1 जुलाई 2017 से प्रभावी जीएसटी अधिनियमों के अनुपालन में निम्नवत दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें :-

GST Registration

1. निगम मुख्यालय स्तर पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० के पैन सं० AACCD0695D पर GSTIN (जीएसटी नं०) 09AACCD0695D1ZS निर्गत हुआ है। इस GSTIN (जीएसटी नं०) का प्रयोग दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० के अधीनस्थ सभी इकाइयों/खण्डों द्वारा किया जायेगा, अर्थात् पूर्व में जहाँ माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति के लिए TIN (VAT)/Service Tax Registration No. को प्रयोग में लाया जाता था वहाँ उक्त GSTIN (जीएसटी नं०) ही प्रयोग में लाया जायेगा तथा साथ ही वर्तमान में निगम में माल व सेवा प्रदाता सम्बन्धी सभी फर्मों को उक्त GSTIN (जीएसटी नं०) आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें।

Principal Place of Business and GST Nodal Officer

2. कार्यालय ज्ञाप सं० 4717/द०वि०वि०नि०लि०/आगरा दिनांक 14.06.2017 द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (प्रशासन), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा को केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम-2017 के अन्तर्गत "Principal Place of Business" के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा अधिशासी अभियन्ता (प्रशासन), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा को जीएसटी नोडल अधिकारी/Authorized Signatory के तौर पर अधिकृत किया गया है। साथ ही उनके द्वारा केन्द्रीय स्तर पर निष्पादित होने वाले जीएसटी सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन किया जायेगा एवं इस कार्यालय से जीएसटी सम्बन्धी समस्त पत्राचार उचित माध्यम से ई-मेल आई०डी० gstdvnl@gmail.com पर करना सुनिश्चित करें।

Inclusion of Units/Sites/Store & Workshop Centers as Additional Place of Business

3. इस कार्यालय के पत्रांक 4813/द०वि०वि०नि०लि०/आ०/दिनांक 01/07/2017 के द्वारा अवगत कराया गया था कि निगम की सभी इकाइयों/खण्डों/स्टोर सेन्टरों को उक्त GSTIN (जीएसटी नं०) 09AACCD0695D1ZS के अन्तर्गत ही GST Portal पर Additional Place of Business के रूप में जोड़ा जायेगा साथ ही यदि कोई नयी इकाई/खण्ड/सेन्टर रजिस्ट्रेशन के पश्चात खोला जाये तो उसकी

सूचना उक्त नयी इकाई/खण्ड/सेन्टर के खुलने के 15 दिनों के अन्दर निर्धारित प्रारूप में जीएसटी नोडल अधिकारी को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय के माध्यम से प्रेषित करें जिससे उन इकाईयों/खण्डों/सेन्टरों को भी GST Portal पर Additional Place of Business में जोड़ा जा सके। ऐसा करना अनिवार्य है अन्यथा जो भी Unit/Site/Store Centres आदि GST Portal पर जुड़ने से छूट जाएंगे, उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अथवा लेन-देन जीएसटी नियमों के अन्तर्गत अवैध माना जाएगा।

4. निगम की किसी भी इकाई/खण्ड द्वारा अपने स्तर पर केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम-2017 में अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है यदि करा लिया गया हो तो उसे निरस्त कराते हुए जीएसटी नोडल अधिकारी को सूचित करें।
5. जीएसटी के दायरे में आने वाले संव्यवहार :

- 1) विद्युत का क्रय/विक्रय (Power Purchase/Sale) : विद्युत का क्रय-विक्रय जीएसटी में पूर्णतया कर-मुक्त (Exempted) है।
- 2) टेण्डर फार्म की बिक्री, स्कैप (Scrap) की बिक्री:

टेण्डर फार्म की बिक्री पर वर्तमान में 5% जीएसटी (HSN Code 4901) लिया जाएगा। निविदा प्रपत्र की बिक्री केवल जीएसटी में रजिस्टर्ड फर्मों को ही किया जाना है। इसी प्रकार स्कैप की बिक्री पर वर्तमान में 18% जीएसटी लिया जायेगा, परन्तु Wood Waste & Scrap पर यह दर 5% है। ज्ञात हो कि उ0प्र0 में बिक्री वसूले गये जीएसटी में CGST(50%) एवं SGST (50%) की देयता होगी एवं उ0प्र0 के बाहर बिक्री पर IGST(100%) की देयता होगी। इस सम्बन्ध में खण्ड/इकाई/सेन्टर के स्तर से **Tax Invoice** जारी किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में जीएसटी दरें निम्नवत् है :-

Sl. No.	Particulars	उ0प्र0 के अन्दर बिक्री पर Rate of CGST + SGST	उ0प्र0 के बाहर बिक्री पर Rate of IGST
1.	Sale of Tender form	CGST @ 2.5% + SGST @ 2.5%	IGST @ 5%
2.	Sale of Scrap	CGST @ 9% + SGST @ 9%	IGST @ 18%

Remittance of GST (Tax) to Executive Engineer (Admin)'s Bank Account:

इकाईयों द्वारा Tender Form/Scrap की बिक्री की धनराशि (जीएसटी को छोड़ते हुए) वर्तमान में निगम मुख्यालय के जिन बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाती थी वह पूर्व की भांति हस्तान्तरित की जायेगी परन्तु प्रत्येक माह में Tender Form/Scrap की बिक्री पर वसूले गये जीएसटी कर (5%/18%) की धनराशि आगामी माह की 03 तारीख तक निगम मुख्यालय के Executive Engineer (Admin) के बैंक खाता संख्या 22390200000177 (IFS Code **BARB0LAWERS, Bank of Baroda, Lawyers Colony, Agra**) में अनिवार्य रूप से उचित माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी जिसका भुगतान मुख्यालय स्तर पर नामित अधिशासी अभियन्ता (प्रशासन) द्वारा सरकार को ससमय किया जायेगा।

Information to GST Cell:

इकाईयों द्वारा प्रत्येक माह में Tender Form/Scrap की बिक्री का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में निर्धारित तिथि तक GST Cell की ई-मेल आईडी0 **gstdvvn@gmail.com** पर प्रेषित किया जायेगा ताकि मुख्यालय स्तर पर नामित जीएसटी नोडल अधिकारी द्वारा सरकार को ससमय विवरणी दाखिल की जा सके।

Format for Details of Sale of Tender Form											
Sl. No.	Unit Name	Tender No.	Buyer Firm's GSTIN	Receipt/ Invoice No.	Receipt/ Invoice Date	Tender Fees	Qty.	Amount of CGST	Amount of SGST	Amount of IGST	Invoice Value
1.											
2.											

Format for Details of Sale of Scrap												
Sl. No.	Unit Name	Tender No.	Buyer Firm's GSTIN	Invoice No.	Invoice Date	Tender Fees	HSN Code	Qty.	Amount of CGST	Amount of SGST	Amount of IGST	Invoice Value
1.												
2.												

Time Limit to furnish above Information to GST Cell:

इकाईयों द्वारा प्रत्येक माह में Tender Form/Scrap की बिक्री का उपरोक्त विवरण उक्त प्रारूप में निम्नलिखित तिथि तक GST Cell की ई-मेल आईडी0 gstdvvn1@gmail.com पर प्रेषित किया जायेगा:-

For the Month of	Last Date to submit information by units to GST Cell
July, 2017	16 th August
August, 2017	8 th September
September, 2017 एवं बाद के माह के लिए	अगले माह की 03 तारीख तक जैसे:- सितम्बर माह के लिए 3 अक्टूबर

Tax Invoice to be issued in respect of Sale of Tender Form/Scrap:

जीएसटी नियमों के अनुसार खण्ड/इकाई द्वारा Sale of Tender Form/Scrap करने पर Tax Invoice खण्ड/इकाई के स्तर से क्रमानुसार क्रमांकित (Serially Numbered) रूप से जारी किया जाना है। आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Sale of Tender Form/Scrap के सम्बन्ध में उनके द्वारा निर्गत किये जाने वाले समस्त बीजकों में Tax Invoice के लिए निर्धारित किये गये बिन्दु/सूचनाएँ शामिल होनी चाहिए। Tax Invoice में जो बिन्दु अनिवार्य हैं उनकी सूची "Annexure-A.1" में संलग्न है तथा Tax Invoice का प्रारूप "Annexure-A.2" में संलग्न है।

3) वाह्य एजेन्सियों/फर्मों से क्रय की जाने वाली सामग्री/प्राप्त की जाने वाली सेवाएं:

समस्त संव्यवहार केवल जीएसटी में रजिस्टर्ड फर्मों से ही किया जाना चाहिए। वाह्य एजेन्सियों से क्रय की जाने वाली सामग्री एवं प्राप्त की जाने वाली सेवाएं निविदा के माध्यम से Exclusive of GST दर प्राप्त की जानी चाहिए। उक्त का प्रावधान प्रत्येक स्तर पर आमंत्रित की गई/आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में अनिवार्यता कर लिया जाये।

संविदा कर्मचारियों के सम्बन्ध में: खण्ड/इकाई/सेन्टर द्वारा जिन कॉन्ट्रैक्टर फर्मों के माध्यम से Manpower Supply/Security Services (सेवाएँ) प्राप्त की जा रही हैं उक्त फर्मों ने Service Tax से जीएसटी में Migration करा लिया होगा, अतः प्रत्येक उक्त फर्मों से भी उनका GSTIN (जीएसटी नं०) प्राप्त कर लिया जाये और सुनिश्चित करें कि दिनांक 1 जुलाई 2017 या उसके पश्चात उनके द्वारा जारी किये गये बिलों पर उनका GSTIN (जीएसटी नं०) अंकित हो जिससे जीएसटी की देयता उक्त फर्मों की ही होगी।

4) वाह्य स्थायी एवं अस्थायी अग्रदाय (PI/TI) :

समस्त आहरण-वितरण अधिकारी PI/TI के माध्यम से छुटकर खर्च अनिवार्यता जीएसटी में रजिस्टर्ड फर्मों से ही किये जायें, अन्यथा की स्थिति में जीएसटी में Reverse Charge Mechanism (RCM) के अन्तर्गत कर (जीएसटी) की देयता निगम की होगी।

